न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 5/2025
दायर दिनांक : 14.05.2025
निर्णय दिनांक : 23.07.2025

1. सतीश पुत्र राधेश्याम जाति जांगडा ब्राह्मण, निवासी भांकरी तहसील व जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. अनिल पुत्र राधेश्याम जाति जांगडा ब्राह्मण, निवासी भांकरी तहसील व जिला दौसा
2. ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति जांगडा ब्राह्मण, निवासी भांकरी तहसील व जिला दौसा
3. राजेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति जांगडा ब्राह्मण, निवासी भांकरी तहसील व जिला दौसा
4. ग्राम पंचायत भांकरी तहसील भांकरी जिला दौसा जरिये सरपंच

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थिति अधिवक्ता : श्री सतीश कुमार पारीक (अपीलांट की ओर से)
श्री पवन कुमार शर्मा (रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 की ओर से)

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 23.09.2024
तस्दीक द्वारा ग्राम पंचायत भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा

–: निर्णय :–

अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भांकरी तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 635, 636, 629, 630 लगायत 634 स्थित है। उक्त भूमि का अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की माता चन्दो देवी व बहिन रामेश्वरी व भाई मुरारीलाल की पत्नी शकुन्तला देवी व रेखा ने दिनांक 06.08.2024 को अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग उप पंजीयक दौसा के यहाँ तस्दीक करा दिया। उपरोक्त हकत्याग के आधार पर ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा नामान्तरण संख्या 681 दिनांक 23.09.2024 को तस्दीक किया गया। किन्तु उक्त नामान्तकरण में पटवारी हल्का की गलती से अपीलान्ट का नाम दर्ज होने से रह गया तथा केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम ही नामान्तकरण भर दिया गया। अपीलान्ट ने दिनांक 05.05.2025 को अपनी भूमि पर केसीसी लेने के लिए जमाबन्दी निकलवायी तो इस गलती की जानकारी हुयी। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर फरमाकर प्रश्नगत नामान्तकरण को निरस्त फरमाने की कृपा करें तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलान्ट के हिस्से अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के साथ रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 06.08.2024 के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम 1/12 – 1/12 हिस्सा का नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने की कृपा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा ने पावर पेश किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त की। तहसीलदार दौसा से प्रश्नगत नामान्तकरण की एक प्रति तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या : 5/2025
सतीश बनाम अनिल वगै.
निर्णय दिनांक : 23.07.2025

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील के जरिये अपीलान्ट का कथन है कि प्रश्नगत नामान्तकरण हकत्याग के आधार पर ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा तस्दीक किया गया है किन्तु उक्त नामान्तकरण में पटवारी हल्का की गलती से अपीलान्ट का नाम दर्ज होने से रह गया तथा केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम ही नामान्तकरण भर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर करते हुए प्रश्नगत नामान्तकरण को निरस्त फरमाकर रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 06.08.2024 के अनुसार पुनः अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे। प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 681 ग्राम भांकरी तहसील दौसा पंजीकृत हकत्याग–पत्र दिनांक 06.08.2024 के आधार पर सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा दिनांक 23.09.2024 को मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में तस्दीक किया जाना प्रमाणित होता है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत हकत्याग–पत्र दिनांक 06.08.2024 अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के साथ अपीलान्ट के पक्ष में भी हकत्याग किया जाना प्रमाणित होता है। इस प्रकार सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 23.09.2024 स्वीकार करते समय अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करने हुए त्रुटि कारित की है। अतः नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 23.09.2024 ग्राम भांकरी तहसील दौसा तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 23.09.2024 ग्राम भांकरी तहसील दौसा तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर, पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ... दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:59 IST
Reason: SelfAttested